

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सूट संख्या- 02/2015-16

कान्डेराम हेम्ब्रम एवं अन्य।

बनाम

सुरज मोनी कुई एवं अन्य।

आदेश

यह दीवानी वाद दिनांक- 08.04.2015 को कान्डेराम हेम्ब्रम, पिता- स्व० कुरसाँग हेम्ब्रम एवं 7 अन्य, ग्राम- हेसल बेरल, पो० वाली बाँघ, थाना- मझगाँव, अंचल- मझगाँव, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा वाद पत्र के Schedule 'B' में वर्णित भूमि Declaration of right title के लिए प्रतिवादी सुरज मोनी कुई, पति- स्व० मधुसुदन कुल्डी एवं 5 अन्य, ग्राम- लोयबेरा, पो० डेनुवा, थाना- रोरुअन, जिला- मयूरभंज, उड़ीसा के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में वादी को अपना गवाह प्रस्तुत करने हेतु कई मौका दिया गया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में इस वाद को को खारिज (Dismiss for Default) किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

lip
07-07-22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

lip
07-07-22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।